<u>कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा</u>

<u>:: राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 16.02.2010 का कार्यवाही विवरण ::</u>

दिनांक 16.02.2010 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में उपस्थित समस्त उप–खंड अधिकारियों व तहसीलदारों से जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उनके द्वारा विगत महीनों में किये गये कार्यो की जानकारी चाही गयी । तत्पश्चात् जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	संबंधित अधिकारी /कार्यालय जिसके द्वारा कार्यवाही की जानी है ।	कार्य कब तक किया जाना है।	वि0 वि0
1.	बैठक में रोडा एक्ट के अंतर्गत विचाराधीन प्रकरणों एवं उनकी वसूली के संबंध में समीक्षा करने पर वसूली असंतोषजनक पाई गई । राजस्व अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि रोडा एक्ट की वसूली की ओर ध्यान देकर वसूली कार्यवाही करावें । लीड बैंक ऑफिसर को निर्देशित किया गया कि संबंधित बैंक अधिकारियों को इस हेतु तुरंत उप–खंड अधिकारियों व तहसीलदारों से संपर्क करने हेतु पाबंद करें ।	लीड बैंक अधिकारी	तत्काल	
2.	खनिज अभियन्ता, माइनिंग की अनापत्ति हेतु प्रकरण जिला कार्यालय में भिजवाते हैं जिनमें एक माह में अनापत्ति देना आवश्यक है लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि निर्धारित 1 माह की अवधि के पश्चात् ही उक्त प्रकरण खनिज अभियंता से प्राप्त होते हैं जिससे निर्धारित अवधि में रिपोर्ट भिजवाया जाना संभव नहीं है । उक्त अवधि समाप्त होते ही खनिज विभाग से स्वतः ही माईनिंग लीज की रजिस्ट्री करवा दी जाती है । अतः जिला कार्यालय से भिजवाई गई अनापत्ति का कोई महत्व नहीं रहता है । अतः भविष्य में खनिज अभियंता, माइनिंग लीज जारी करते ही तुरंत प्रकरण अनापत्ति हेतु जिला कार्यालय में भिजवावें । संबंधित उप–खंड अधिकारी व तहसीलदार भी निर्धारित अवधि में रिपोर्ट जिला कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित् करें ।	उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /खनिज अभियन्ता	तत्काल	
3.	जिला सूचना अधिकारी द्वारा नक्शो की नकले कम्प्यूटर के माध्यम से देने हेतु समस्त तहसीलदारान /उप खंड अधिकारियान को प्रशिक्षण दिया गया । अतः कम्प्यूटर के माध्यम से नक्शो की नकले दिये जाने की कार्यवाही की जावे।	उपखंड अधिकारी/तहसीलदार	तत्काल	
4.	राजस्व मंडल द्वारा लोक अदालतें लगाने के संबंध में जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार समस्त उप–खंड	उपखंड अधिकारी/तहसील	25.02. 2010	

	अधिकारी 7 दिवस में सलाहकार समिति का गठन करें तथा पत्रावलियों को पटवार मंडलवार छटनी कर लोक अदालत निर्धारित दिनांक को लगाई जाकर राजस्व वादों का निस्तारण करें ।	दार		
5.	माह अप्रेल 2010 से राजस्व अभियान प्रारम्भ होने जा रहा है । अभियान के अन्तर्गत पूर्व के अभियोनो की तरह ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये बिन्दुओ के अनुसार कार्य सम्पादित होगे । अतः इसकी तैयारी अभी से की जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	28.02. 2010	
6.	तहसीलों में कंट्रोल रजिस्टर बनाने व उनको पूर्ण रखने के निर्देश पूर्व में कई बार दिये जा चुके हैं परन्तु अभी भी देखा गया है कि कंट्रोल रजिस्टर तहसीलों में अपूर्ण है । अतः इसको तुरंत पूर्ण किया जावे । पटवार मीटिंग में भी इसका निरीक्षण संबंधित तहसीलदार व उप–खंड अधिकारी द्वारा किया जाये ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार/	तत्काल	
7.	पंचायत चुनाव के पश्चात नव पदस्थापित सरपंचो को नामान्तरण करण के सम्बन्ध मे पूर्ण जानकारी दी जावे।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	
8.	सभी मदो की वसूली की स्थिति बहुत खराब है । वित्तीय वर्ष समाप्ती की ओर है । अतः विशेष प्रयत्न किये जाकर सभी मदों की वसूली का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त किया जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	
9.	सुगम सोफ्टवेयर तहसील सांगोद, ईटावा एवं सभी उप तहसीलो मे भी चालू किया जावे।	समस्त उप–खंड अधिकारी तहसीलदार/	तत्काल	
10.	कार्यलय की साफ सफाई का ध्यान रखा जावे तथा वाहन को भी ठीक प्रकार संधारित किया जाए ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	
11.	जिला कार्यालय में लम्बित पत्रावलियों से संबंधित रिपोर्ट उप–खंड अधिकारी व तहसीलदार से बार–बार स्मरण–पत्र जारी करने पर भी प्राप्त नहीं होती हैं । लम्बित पत्रावलियों की सूची भी पूर्ण में समस्त उप–खंड अधिकारियों व तहसीलदार को दी गई थी । इसको गंभीरता से लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि वांछित रिपोर्ट शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित् किया जाये ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	25.02. 2010	
12.	वेस्ट लेण्ड की सूचना राज्य सरकार द्वारा चाही जा रही है लेकिन तहसीलों से वांछित सूचना दो हार्ड कोपी एवं सीडी में अप्राप्त है । अतः उक्त सूचना भिजवाना सुनिश्चित् करें ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार ।	तत्काल	
13.	भविष्य में मासिक नक्शें ई–मेल के माध्यम से ही	जिला सूचना	तत्काल	

	भिजवाये जावे । समस्त उप–खंड अधिकारियों व तहसीलदारों को जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी कोटा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ।	अधिकारी,एनआईसी		
14.	माह जनवरी, 2010 के मासिक नक्शे ई–मेल के माध्यम से ही भिजवाये जावे तथा प्रतिमाह 5 तारीख तक समस्त मानचित्र जिला कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित् करें ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	
15.	सांगोद से ई–ग्राम की सूचना अप्राप्त है जिसे तहसीलदार / उप–खंड अधिकारी पूर्ण करावें ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	28.02. 2010	
16.	पटवारी को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रो की रसीद दिये जाने का प्रावधान लागू किया जावे।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख	तत्काल	
17.	उप–खंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों से भूमि आवंटन/संपरिवर्तन के अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं । भविष्य में निर्धारित चेक लिस्ट पूर्ण करने तथा स्पष्ट रिपोर्ट अपनी अभिशंसा के साथ उप–खंड अधिकारी व तहसीलदार भिजवाना सुनिश्चित् करें ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	
18.	तहसील लाडपुरा, दीगोद एवं पीपल्दा में अभी भी काफी संख्या में गैर खातेदार है जिनको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं । नियमानुसार उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे अन्यथा 14 (4) के प्रकरण बनाकर न्यायालय में शीघ्र पेश किये जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	
19.	तहसील लाडपुरा में एम0ए0सी0टी0 एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट व पी0डी0आर0 एक्ट के काफी प्रकरण विचाराधीन है जिनका 28.02.2010 तक निस्तारण किया जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	28.02. 2010	
20.	सहायता मद में दी गई राशि का समायोजन शीघ्र किया जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	28.02. 2010	
21.	पी0जी0 व मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 20.12.2009 तक आवश्यक रूप से किया जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	

22.	लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 व उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के प्रकरण बहुत कम दर्ज किये गये हैं जबकि सभी तहसीलों में कई वर्षों से अतिक्रमी अवैध रूप से राजकीय भूमि पर काबिज है । अतः अधिक से अधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें सिविल कारावास की सजा से दंडित किया जावे । समस्त तहसीलदार प्रकरणों के निस्तारण के समय यह सुनिश्चित् करें कि पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने के संबंध में पत्रावली में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	28.02. 2010	
23.	बैठक में राज0 वित्त निगम के उपस्थिति सहायक प्रबंधक द्वारा आरएफसी के वसूली प्रकरण तथा डीआरए शाखा द्वारा उपलब्ध सूचना में अंतर होना पाया गया । वसूली प्रकरण जिनमें आरएफसी द्वारा वसूली करली गई हैं, की सूचना आरएफसी द्वारा जिला कार्यालय में नहीं भिजवाई गई । अतः आरएफसी के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि वे उन प्रकरणों की सूचना जिला कार्यालय को तुरंत भिजवावें जिनमें वसूली पूर्ण हो चुकी है तथा शेष प्रकरणों में तहसीलदार व उप–खंड अधिकारियों से संपर्क कर वसूली करवाना सुनिश्चित् करें ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार/ मेनेजर आर0एफ0सी0	तत्काल	
24.	नहरों पर किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे । इस संबंध में संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा भी बार–बार रिपोर्ट चाही जा रही है । अतः नहरों पर किये गये अतिक्रमणों को प्रभावी रूप से हटाया जाकर 7 दिवस में रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित् किया जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	25.02.10	

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

अति. जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक/प–2(57)राजस्व/ ।/बैठक/09/847 दिनांक 22–02–2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रभारी अधिकारी राजस्व/स्थापना/रीडर/जिला राजस्व लेखा/रेकार्ड/भू0अभिलेख अनुभाग विकास/पंजीयन/सामान्य/पंचायत/चुनाव/सतर्कता /स्थापना /रेकार्ड /न्याय अनु0 / सहायता कले0कोटा

2 अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन /सिलिंग/शहर कोटा

3. जिला रसद अधिकारी कोटा / उप–महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कोटा

4 सहायक कलक्टर कोटा/दीगोद/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एनआईसी कोटा

5 मंडल वन अधिकारी कोटा /उप वन संरक्षक, वन्य जीव कोटा/ लीड बैक अधिकारी कोटा
6 प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम शाखा कोटा
7 खनिज अभियन्ता कोटा/रामगंजमंडी
8. उप खंड अधिकारी कोटा/दीगोद/सांगोद/ईटावा/रामगंजमंडी
9 विकास अधिकारी पं0स0 लाडपुरा/सुल्तानपुर/ईटावा/सांगोद/खैराबाद
10 तहसीलदार लाडपुरा/दीगोद/सांगोद/पीपल्दा/रामगंजमंडी
11 नायब तहसीलदार मंडाना/चेचट/कनवास
12 निजी सहायक जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
13 कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रेट कोटा क

अति0 जिला कलक्टर
कोटा